दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/967 20.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल / सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: खाड़ी और पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में भू-राजनीतिक व्यवधानों के मद्देनजर निर्यातकों के लिए सीमित समय के लिए सहायता।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने **अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19 मार्च 2026 जारी कर निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों के लिए समर्थन, लचीलापन एवं रसद संबंधी हस्तक्षेप (आरईआईएफ) की** शुरुआत की है ।

इस पहल का उद्देश्य खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में व्यवधानों से उत्पन्न असाधारण माल ढुलाई लागत में वृद्धि, बढ़े हुए बीमा प्रीमियम और युद्ध संबंधी निर्यात जोखिमों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है।

खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार गलियारा है। पश्चिम एशिया में हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, विशेष रूप से ईरान से जुड़े तनावों में वृद्धि और होर्मुज जलडमरूमध्य और व्यापक खाड़ी समुद्री गलियारे के आसपास के बदलते सुरक्षा वातावरण के कारण समुद्री रसद व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। शिपिंग कंपनियों और बीमाकर्ताओं ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले माल पर कई अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं, जिनमें अतिरिक्त युद्ध जोखिम प्रीमियम (AWRP), युद्ध जोखिम अधिभार (WRS), आपातकालीन संघर्ष अधिभार (ECS) और अन्य असाधारण माल ढुलाई शुल्क शामिल हैं।

इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप निर्यातकों के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स लागत में अचानक वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण जहाजों का मार्ग बदलना, समुद्री मार्गों का लंबा होना, बीमा प्रीमियम का बढ़ना और क्षेत्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्रों पर भीड़भाड़ होना है।

भारत के माल निर्यात के लिए खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र के रणनीतिक महत्व, लंबे समय तक चलने वाली रसद संबंधी बाधाओं और असाधारण माल ढुलाई अधिभारों को देखते हुए, निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत एक सुनियोजित, समय-सीमित, लक्षित और असाधारण हस्तक्षेप, जिसे रिलीफ - रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन कहा जाता है, को भारतीय निर्यातकों का समर्थन करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

- स्वीकृत हस्तक्षेप - राहत - में तीन पूरक घटक शामिल होंगे जिनका उद्देश्य निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख तनाव बिंदुओं को संबोधित करना है, अर्थात्: -

1. पात्र ईसीजीसी के पहले से ही बीमित निर्यातकों के लिए युद्ध/राजनीतिक जोखिम सहायता में वृद्धि;
2. आगामी निर्यात के लिए पात्र निर्यातकों को ईसीजीसी कवरेज को प्रोत्साहित करने और सुगम बनाने के लिए सीमित समय के लिए सहायता; और,

3. सीमा शुल्क से मंजूरी प्राप्त माल के संबंध में पात्र गैर-ईसीजीसी-बीमित एमएसएमई निर्यातकों द्वारा वहन किए गए असाधारण माल ढुलाई और बीमा अधिभार के बोझ के लिए समय-सीमित प्रतिपूर्ति सहायता।

निर्यात ऋण जोखिमों और दावों के प्रशासन से निपटने में ईसीजीसी के अनुभव को देखते हुए, ईसीजीसी सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, वितरण और सत्यापन सहित, राहत योजना के तहत तीन हस्तक्षेपों के लिए नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे तीनों घटकों की विस्तृत व्याख्या करने वाली अधिसूचना का संदर्भ लें:

- राहत घटक-1: ईसीजीसी के पहले से ही बीमित निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण सहायता।
- राहत घटक-II: क्षेत्र में आगामी निर्यात के लिए निर्यात ऋण सहायता हेतु ईसीजीसी कवरेज को प्रोत्साहित करना और सुगम बनाना।
- राहत घटक-III: पात्र गैर-ईसीजीसी-बीमित एमएसएमई निर्यातकों द्वारा वहन किए गए असाधारण माल ढुलाई और बीमा अधिभार के लिए प्रतिपूर्ति सहायता

अधिसूचना का प्रभाव : खाड़ी और पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में भू-राजनीतिक व्यवधानों से उत्पन्न बढ़े हुए निर्यात जोखिमों से निपटने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक सीमित समय के लिए राहत हस्तक्षेप शुरू किया गया है, जिसे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता मानदंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और राहत योजना के तहत दावों के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करें।

कृपया विस्तृत अधिसूचना यहां देखें:

https://membership.plasticsepc .org/mails_images/202603201146 07.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

शुभकामनाएं

भारती परवे (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल